

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास

:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादी :-

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. दिनेश कुमार पुत्र धर्मराम
 2. मनोहर लाल पुत्र धर्मराम
 3. बाबुलाल पुत्र धर्मराम
 4. गुटकी पत्नी धर्मराम
- जातियान- रेगर, निवासीगण-
केसरपुरा, तहसील- जैतारण,
जिला- पाली राज०।

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकार जैतारण, तहसील-
जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत घोषणा

अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं
धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु०न० :रा०वा० स०: 210/2022

निर्णय/ डिक्री दिनांक :- 11.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु
व हाजरी श्री चेतनप्रकाश, अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुद्दई व सरकारी राज
पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया
जाता है कि वाद वादीगण का बखूबी साबित होने व सारवान होने से
स्वीकार/डिक्री किया जाता है। ग्राम- केसरपुरा, पटवार हल्का- रास द्वितीय,
तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 2677, 2678,
2679, 2714 के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज अशुद्ध नाम धन्ना पुत्र बीजाराम
के स्थान पर धर्मराम पुत्र बीजाराम दर्ज किये जाने का आदेश किया जाता है।
अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय
सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक
-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11/05/2023
को जारी किया गया ।



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)



मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।